He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] No. 13] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2004/पौष 29, 192**5**

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2004/PAUSA 29, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2004

फा. सं. 5 (13)-पीडी / 2003. — एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कंपनियों तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निधियों के एक भाग के निवेश के लिए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ. 4(3)-डब्ल्यूएंडएम/81 दिनांक 4 फरवरी, 1981 में घोषित विशेष जमा योजना के तहत जमा की गयी राशियों पर 1 अप्रैल, 2003 से और अगले आदेशों तक 8 (आठ) प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाएगा।

वी. एस. चौहान, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2004

F. No. 5(13)-PD/2003.—It is hereby notified that the deposits made under the Special Deposit Scheme for investment of a part of funds of the Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India and its subsidiaries and Unit Trust of India announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. 4(3)-W&M/81 dated the 4th February, 1981, shall with effect from the 1st April, 2003 and until further orders, bear interest at 8 (eight) per cent per annum.

V. S. CHAUHAN, Dv. Secv.